

प्रमाणित किया जाता है कि Proposed Protected Forest Land to be diverted for 220 KV for (765 KV) Sub-Station) Meerut- -Amroha Transmission Line in District- Amroha(0.07 Ha PF) and No Forest Land (0Ha) in Hapur District, Proposal No. FP/UP/TRANS/148929/2021 में संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। निजी भूमि जो वन्यजीव विहार क्षेत्र के अन्तर्गत है का प्रयोग ही सुनिश्चित है। अतः प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

df 14/2/22
प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग,
हापुड़।